



कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

मासिक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र
APPLICATION FOR MONTHLY PENSION
प्रपत्र 10-डी (क. पें. यो)
Form 10-D (E.P.S.)

टिप्पण : अन्य क्षेत्र में पेंशन की निकासी के मामले में इसे 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

Note : To be submitted in two copies in case pension is to be drawn in other Region.)

आवेदन हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी

EXPLANATORY NOTE FOR THE APPLICATION

नीचे दी क्रम सं. आवेदन में दिए गए क्रम से संबंधित है

Serial No. given below relates to the corresponding No. given in the application

1. पेंशन का दावा किस के द्वारा होना है ?

By whom the pension is claimed ?

क्रम सं. 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक को दर्शायें

Indicate any one of the following under Sl. No. 1:—

सदस्य Member	विधवा/विधुर Widow/Widower	वयस्क अनाथ Major Orphan	अभिभावक Guardian	नामिति Nominee

2. पेंशन दावे का प्रकार — निम्नलिखित में से किसी एक को दर्शायें

Type of Pension Claim— Indicate any one of the following

(क) सेवा में अथवा सेवा से बाहर
58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

वार्धक्य पेंशन

SUPERANNUATION PENSION

(a) On attaining 58 years whether
in service or not

(ख) 50 वर्ष से अधिक परन्तु 58 वर्ष से कम की
उम्र प्राप्त होने पर तथा सेवा से बाहर होने पर

न्यून की पेंशन

REDUCED PENSION

(b) Attained the age of 50 years but
below 58 years and left service

(ग) अपंगता पेंशन

(c) Disablement Pension

(घ) विधवा एवं बच्चे पेंशन

(d) Widow and Children Pension

(ड.) अनाथ पेंशन

(e) Orphan Pension

(च) नामिति पेंशन

(f) Nominee Pension

3. (क) से (ड.), 4 एवं 5

(a) to (e), 4 & 5

कृपया सदस्य से संबंधित विवरणों को ठीक तरह से भरें।

Please furnish the particulars relating to the member correctly.

6. सेवा त्यागने की वास्तविक तिथि दर्शायें।

Indicate the actual date of leaving Service.

यह उस सदस्य के लिए भरना आवश्यक नहीं है जो 58 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुका है तथा सेवारत रहता है। दर्शायें कि क्या 'अभी सेवा में है'।

This need not be filled by a member who has attained 58 years and continued to be in service indicate, "still in service".

7. यदि सेवा त्यागने का कारण पूर्ण एवं स्थायी अशक्तता पर आधारित है जैसा कि स्थापना द्वारा भा.नि. कार्यालय को प्रपत्र 10 के माध्यम से दर्शाया गया है तो अशक्तता पेंशन हेतु केवल सदस्य हकदार हैं। अन्य सभी मामलों में सेवा त्यागने का वास्तविक कारण दिया जाना चाहिए। तदपि कोई सदस्य, जो 58 वर्ष की आयु होने के बाद भी सेवा में रहता है, उसे दर्शाना चाहिए कि वह 'अभी सेवा में है'।
If the reason for leaving service was on account of total and permanent disablement, as indicated by the establishment to the P.F. Office through Form 10, then only the member is entitled for Disablement Pension. In all other cases the actual reason for leaving service may be given. However, a member who continues in services beyond the age of 58 years may indicate "still in services".
8. यदि वर्तमान पता अस्थायी है तो स्थायी पते को भी दर्शाएँ।
If the present address is temporary one, also indicate permanent address.
8. (क) कि 'समयपूर्व पेंशन' के मामले में सदस्य पेंशन प्रारम्भ करने हेतु विकल्प की तिथि निम्नलिखित विकल्पों में से दे सकता है :—
8. (a) That the member can exercise option in case of 'Early pension' indicating the date of option of commencement of pension from :—
(क) 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा छोड़ने की तिथि से
(a) Date of exit from service on completion of 50 years of age
(ख) प्रपत्र 10 डी भरने की तिथि से
(b) Date of filling the Form 10 D.
(ग) सेवा त्यागने (50 वर्ष की आयु पूरी करने पर) की तिथि तथा 58 वर्ष (वार्षिक आयु) पूरी करने की तिथि की बीच की तिथि से
(c) Any Date between the date of exit (on completion of 50 years) and date of completion of 58 years (superannuation age)
9. क्रम सं. 9 केवल पेंशन योजना के सदस्य पर लागू है न कि, उसके परिवार पर। आवेदक अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 भाग कम्यूट कराने का पात्र है ताकि वह कम्यूट की पेंशन का 100 गुना प्राप्त कर सके। यदि कोई पेंशन भोगी, जो मूल पेंशन 600 रुपये प्राप्त कर रहा है, इसका 1/3 कम्यूट करता है तो वह कम्यूट मूल्य के रूप में रुपये 20,000 प्राप्त करेगा। कम्यूटेशन केवल दिनांक 16-11-1998 से प्रभावी होगी। आवेदक अपने आवेदन में कम्यूटेशन हेतु अपना विकल्प दे सकता है और यह सदस्य को केवल तभी प्रभावी एवं संदेय होगी यदि पेंशनभोगी दिनांक 16-11-1998 से अपनी पेंशन लेना जारी रखता है।
Sl. No. 9 is applicable only to a member of the Pension Scheme and not for his family. The applicant is eligible to commute up to a maximum of 1/3 of his pension so as to receive 100 times of the pension commuted. If a pensioner who is getting an original pension of Rs. 600/- commutes 1/3rd of it, he will get Rs. 20,000 as commuted value. The commutation will be effective only from 16th November, 1998. The applicant may give his option for commutation in the application and this will be effective and paid only if the member pensioner continues to draw his pension as on 16th November, 1998.
पेंशन के कम्यूट मूल्य का विकल्प देने पर, पूंजी की वापसी हेतु वर्णित मूल पेंशन, कम्यूटेशन के बाद रही शेष पेंशन होगी।
On opting for commuted value of pension, the original pension mentioned for Return of Capital will be the balance of pension after commutation.
10. सदस्य पूंजी की वापसी हेतु अपना विकल्प दे सकता है। एक बार दिया विकल्प अन्तिम होगा। वह निम्न में से किसी एक का विकल्प दे सकता है तथा आवेदन के क्रम सं. 10 के समक्ष विकल्प के अंतर्गत दर्शाये क्रमांक को वर्णित करेगा।
The member can give his option for return of Capital. Option once exercised is final. He may choose any one of the following and indicate the No. shown under alternative against Sl. No. 10 of the application.

विकल्प Alternative	पेंशन की मात्रा Quantum of Pension	पूँजी की वापसी Return of Capital
1.	मूल पेंशन का 90 % 90% of original pension	सदस्य की मृत्यु होने पर नामिति को मूल मासिक पेंशन का 100 गुना On member's death 100 times the original monthly pension to nominee
2.	सदस्य को मूल पेंशन का 90 % उसकी मृत्यु पर पेंशन का 80 % उसकी विधवा/विधुर को 90% of original pension to member. On his death 80% of pension to Widow/Widower	विधवा/विधुर की मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने पर इनमें से जो पहले हो। नामिति को मूल पेंशन का 90 गुना On death or remarriage of Widow/Widower whichever is earlier. 90 times of original pension to nominee.
3.	सदस्य को 20 वर्ष की एक निर्धारित अवधि हेतु मूल पेंशन का 87.5 % 20 वर्ष से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर नामिति व्यक्ति शेष अवधि हेतु पेंशन प्राप्त करेगा 87.5% of original pension for a fixed period of 20 years to member. On his death before 20 years, nominee will get pension for balance period	20 वर्ष की समाप्ति पर सदस्य को मूल पेंशन का 100 गुना, यदि वह जीवित है, अन्यथा उसके नामिति को At the end of 20 years. 100 times of original pension to member, if he is alive, otherwise to nominee.

11. सदस्य से अपेक्षित है कि वह पूंजी की वापसी को प्राप्त करने हेतु अपने नामितियों का ब्यौरा दें। एक सदस्य अपने जीवन साथी या पुत्रों या पुत्रियों को नामित कर सकता है। एक विवाहित सदस्य जिसके पीछे उसके परिवार का कोई सदस्य (जीवन साथी/पुत्र/पुत्रियां) जीवित नहीं हैं और एक कुंआरा/कुंआरी ऊपर क्रम सं. 10 के आधार पर विकल्प के अंतर्गत पूंजी/पेंशन की वापसी (यदि कोई देय है) को प्राप्त करने हेतु अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है।

The member is required to furnish the details of his/her nominee for receiving the Return of Capital. A member can nominate his/her spouse or sons or daughters. A married member who is not survived by any member of his family (spouse/sons/daughters) and a bachelor/spinster may nominate a person of his/her choice to receive the Return of Capital/Pension due, if any, under Alternative 3 as per Serial Number 10 above.

12. इसे सदस्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। उसकी अनुपस्थिति में जीवन साथी/बच्चों द्वारा। सदस्य के जीवित परिवारिक सदस्यों की सूची, जिसके अंतर्गत उसका जीवन साथी, सभी बच्चे आते हों, उसे प्रस्तुत करनी चाहिए। आवेदन करने की तिथि को प्रत्येक अवयस्क बच्चे हेतु अभिभावक का विवरण दिया जाना चाहिए। बच्चों की आयु के प्रमाण स्वरूप विद्यालय या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार या क.रा.बी. प्रलेखों या नगरीय प्राधिकारियों से प्राप्त आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। नैसर्गिक अभिभावक से अन्य अभिभावक होने की दशा में एक अभिभावक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

This should be completed by the member. In his absence, by the spouse/children. The ~~the~~ surviving family members of the Member, covering his spouse, all children should be furnished. The particulars of Guardian should be given in respect of each minor child, as on the date of application. In support of the age of children, age proof certificate obtained from the School or Registrar of Birth-death or E.S.I. Record, or Municipal authorities should be enclosed. In the case of Guardian other than natural guardian, a Guardianship Certificate should be enclosed.

13. सदस्य के जीवित न रहने की दशा में लागू है। मृत्यु तिथि के प्रमाण हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

Applicable only in case the member is not alive. In support to the date of death, Death Certificate should be enclosed.

14. बैंक, बचत बैंक लेखा सं. का विवरण दिया जाना चाहिए। यदि दावा जीवन-साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उसे अपना बचत बैंक खाता सं. देना चाहिए तथा इसके साथ ही उसे अपनी पृथक बचत बैंक खाता का नं. भी देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के संबंध में उसकी बचत बैंक खाता सं. दी जानी चाहिए। यदि बच्चा 25 वर्ष की आयु से कम है (इसकी गणना सदस्य की मृत्यु की तिथि से होगी) अवयस्क बच्चे की ओर से उसके नाम पर खोला गया बचत बैंक खाता जो कि अवयस्क द्वारा प्रचलित है तथा खाता सं. दी जानी चाहिए।

The details of Bank, Saving Bank Account Number should be given. In case the claim is preferred by spouse, he/she should give his/her Saving Bank Account Number and also separate Saving Bank Account Numbers. In respect of each child Saving Bank Account Numbers of children who are below the age of 25 years (as on date of death of the member) should be given. On behalf of minor child, Saving Bank Account opened in the name of minor and operated by the guardian of the minor and Account Number should be given.

पेंशन किसी भी शाखा (पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से प्रत्येक माह, पात्र पेंशन भोगी के बचत बैंक खाते में निश्चित तिथि को जमा करके संदेय है। अतः बचत बैंक खाता उक्त बैंक में ही खोला जाना चाहिए। आवश्यक संदर्शन सभी बैंक की शाखाओं को दिये गये हैं ताकि वे पेंशन भोगियों के लिए बचत बैंक खाते अपने बैंक में खोलें। आवेदक खाता खोलने के लिए उक्त बैंकों की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

Pension is payable through any branch of the (PNB or State Bank of India) on the specified day of each month by credit to the Saving Bank Account of eligible pensioners. Hence, Saving Bank Account should be opened only in the said Bank. Necessary guidelines have been given to all branches of the Bank to open a Saving Bank Account for the pensioners. The applicant may approach any branch of the said bank to open the account.

सदस्य, जीवन साथी एवं बच्चे (अवयस्क तथा वयस्क) को आवश्यक रूप से चाहिए कि वे बैंक की उसी शाखा में अपने बचत बैंक खाते खोलें।

The member, spouse and children (minor or major) should necessarily open Saving Bank Account in the same branch of the Bank.

यदि पेंशन का विकल्प उस स्थान पर दिया है जो कि उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से बाहर है जहां सदस्य अन्त में नियोजित था तो उसे चाहिए कि वह उस क्षेत्र में लागू पदनामित बैंक का नाम सुनिश्चित करें तथा वहां अपना बचत बैंक खाता खोलें।

Whenever pension is opted from a place beyond the jurisdiction of the Region in which the member was last employed, he should ascertain the name of the designated bank applicable in that Region and open a Saving Bank Account therein,

पेंशन की मंजूरी पर पेंशन भोगी को सूचना भेजी जाएगी ताकि वह बैंक से संपर्क कर सके।

On sanction of pension, intimation will be sent to the pensioner to contact the bank.

14. (क) यदि किसी सदस्य की 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तथा पेंशन को प्राप्त करने के लिए कोई परिवार का पात्र सदस्य नहीं है तो निधि कार्यालय में पहले ही भेजे गए प्रपत्र-2 (परिशोधित) में सदस्य द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति इस स्तम्भ के समक्ष विवरणों को देकर आवेदन कर सकता है।

In case of death of the member before attaining 58 years without leaving any eligible family members to receive the pension, the nominee as appointed by the member through the Form 2 (Revised) already sent to the P.F. Office may apply giving his particulars against this column.

'कृपया' पदनामित बैंकों का नामाल्लेख करें।

'Please write the name of the designated Bank(s).

15. यदि कोई सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्यरत रहा था और योजना प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका है इस स्तम्भ के समक्ष पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। यदि कोई योजना प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उसके लिए आवेदन किया है तो इस स्तम्भ में पूर्व नियोजन संबंधी ब्यौरा दर्शाया जाए।

In case the member was working in different establishments and obtained Scheme Certificate, the details should be furnished against this column. In case, no Scheme Certificate was received or not applied for the same, the details of past employment may be indicated in this column.

16. यदि आवेदक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पहले ही पेंशन अथवा दावा पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस स्तम्भ के समक्ष ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

If the applicant is already receiving pension under Employees' Pension Scheme, 1995 or claim Pension, the details should be furnished against the column.

17. स्तम्भ 17 के अंतर्गत वर्णित एवं सलंगन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

List of documents to be enclosed and specified under Column No. 17 :

- (क) पेंशन भोगी का विवरणात्मक रोल एवं उसके दो प्रतियों में नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी।
- (a) Descriptive role of pensioner and his/her specimen Signature/Thumb impression in duplicate;
- (ख) 3 पासपोर्ट आकार के फोटो (यदि दावा सदस्य द्वारा किया गया है तो जीवन साथी के साथ संयुक्त फोटो) यदि पेंशन का दावा सदस्य द्वारा किया गया है तो बच्चों के फोटो भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि दावा विधवा द्वारा किया गया है तो विधवा/विधुर एवं उसके दो बच्चे (25 वर्ष से कम आयु के) फोटो पृथक रूप से भेजे जाने चाहिए। फोटो नियुक्ता अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होने चाहिए। जिन पर वह उनका नाम भी दर्शाएगा जिनसे फोटो संबंधित है तथा इसके साथ-साथ वह सदस्य की भविष्य निधि खाता सं. को फोटो के पीछे वर्णित करेगा तथा पृथक लिफाफे में रखेगा।
- (b) 3 pass-port size photographs (if claimed by the member Joint photo with spouse). If the pension is claimed by member, there is no need to send photograph of the children. If claimed by widow, the photograph should be sent for widow/widower and his/her two children (below 25 years) separately. The photographs are to be attested by the employer or his authorised official, indicating the person to whom the photograph relates and also the P.F. Account Number of the member, written on the reverse and placed in a separate envelope.
- (ग) यदि कोई सदस्य, जो नियोजन के दौरान स्थायी एवं समग्र रूप से विकलांग है तो उसे चाहिए कि वह क.भ.नि. कार्यालय द्वारा दिए परामर्श के अनुसार चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा जांच कराये। तदापि वह विकलांगता रोजगार के दौरान घटित होनी चाहिए।
- (c) In the case of member, who is permanently and totally disabled during the employment, he/shè should undergo a Medical Examination before the Medical Board as advised by the E.P.F. Office. However, the disablement should occur while in employment.
- (घ) आवेदन उस संस्थान के माध्यम से अग्रसारित होना चाहिए जिसमें सदस्य अन्त में सेवा करता था या मृत्यु को प्राप्त हुआ था। स्थापना को प्रमाणपत्र एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित मजदूरी विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- (d) The application should be forwarded through the establishment in which the member last served/died. The establishment should furnish the certificate and wage particulars duly attested by the authorised Officer.
- (ङ) यदि स्थापना बन्द है तो, आवेदन पत्र को मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबन्धक या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाया जाना चाहिए।
- (e) Only if the establishment is closed, the application should be forwarded through the Magistrate/Gazetted Officer/Bank Manager/any other authorised officer as may be approved by the Commissioner.

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ

For Office Use Only

आवक सं.

In ward No.

मासिक पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र-10-डी (क.पें.यो.)

APPLICATION FOR MONTHLY PENSION FORM-10-D (E.P.S.)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

(EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

(Read INSTRUCTIONS before filling in this Form)

किस के द्वारा पेंशन का दावा किया गया है ?

By whom the Pension is claimed ?

2. दावा की गई पेंशन का प्रकार

Type of Pension Claimed

(क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

Member's Name (In Block Letters)

(ख) लिंग / Sex.....

(ग) वैवाहिक स्थिति / (Marital Status)

(घ) जन्म तिथि/आयु

Date of Birth/Age

(ड.) पिता/पति का नाम

Father's/Husband's Name

के. भ. नि. खाता संख्या

E.P.F. Account Number

क्षे. का.

RO

उ.क्षे. का.

SR

संस्थान कोड नं.

Establishment Code No.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

सदस्य का खाता सं.

Member's Account No.

स्थापना का नाम व पता जहाँ सदस्य

अन्त में नियोजित था

Name & Address of the Establishment

In which the member was last employed

सेवा त्यागने की तिथि

Date of leaving Service

सेवा त्यागने का कारण

Reason of leaving Service

पत्र व्यवहार हेतु पता

Address for communication

.....पिन/Pin.....

(क) न्यून दर पेंशन (समयपूर्व पेंशन) के मामले में

पेंशन प्रारम्भ करने हेतु विकल्प की तिथि

(a) In case of reduced pension (early pension)

date of option for commencement of pension.

दिनांक/Date

माह/Month

वर्ष/Year

9. राशि के 1/3 भाग के कम्यूटेशन का विकल्प
Option for commutation of 1/3 of Quantum
पेंशन (यदि कम के लिये विकल्प है)
कम्यूटेशन राशि को इंगित करती है
Pension (If option is for lesser)
commutation indicate the quantum

हां Yes	नहीं No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. पूंजी की वापसी हेतु विकल्प (कृपया अनुदेशों की
क्र. सं. 10 का संदर्भ ग्रहण करें) [(✓) टिक लगायें]
यदि हां तो अपने विकल्प की पसंद को दर्शायें।
Option for Return of Capital (Please refer Serial
Number 10 of INSTRUCTIONS) Put a tick (✓)
If yes, indicate your choice of alternative

हां /Yes	नहीं /No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

11. पूंजी की वापसी हेतु नामित व्यक्ति का नाम उल्लिखित करें।

Mention your Nominee for Return of Capital :
नाम/Name :
संबंध/Relation :
जन्म तिथि/Date of Birth) :
पता/Address :

12. परिवार का विवरण (Particulars of Family)

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	जन्म तिथि/आयु Date of Birth/Age	सदस्य के साथ संबंध Relationship with Member	अवयस्क के समक्ष दर्शायें Indicate against Minor	
				अभिभावक का नाम Guardian Name	सदस्य के साथ संबंध Relationship with Member
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टिप्पणी : यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से अपंग है तो नाम के नीचे 'अपंग' दर्शायें।

Note : If any child is physically handicapped, please indicate "DISABLED" below the name :

13. सदस्य की मृत्यु की तिथि (यदि लागू है)

Date of death of Member (if applicable) :

14. खोले गए बचत बैंक खाते का विवरण

Details of Saving Bank Accounts Opened :

(1) बैंक का नाम/Name of the Bank :

(2) शाखा का नाम/Name of the Branch :

(3) पूरा डाक पता/Full Postal Address)

पिन कोड /PIN Code :

क्र. सं. Sl. No.	दावेदार/दावेदारों का नाम Name of Claimant(s)	बचत बैंक खाता सं. Saving Bank Account No.

14. (क) यदि दावा किसी नामित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उल्लिखित करें उसका

(a) If the claim is preferred by nominee, indicate his/her

(1) नाम/Name

(2) मृत सदस्य के साथ संबंध

Relationship with the deceased Member

15. योजना प्रमाणपत्र का विवरण यदि वह पहले ही सदस्य के पास हो (यदि कोई हो)
Detail of Scheme Certificate already in possession of the Member, if any.

योजना प्रमाणपत्र प्राप्त कर संलग्न किया।

Scheme Certificate received & enclosed

प्राप्त नहीं/Not received

लागू नहीं/Not Applicable

यदि प्राप्त है, तो दर्शाएँ/If Received, indicate :

क्र. सं. Sl. No.	योजना प्रमाण पत्र नियंत्रण सं. Scheme Certificate Control No.	प्राधिकारी जिसने योजना प्रमाण पत्र जारी किया है। Authority who issued the Scheme Certificate

16. यदि पेंशन क. पें. यो., 1995 के अन्तर्गत
ली जा रही है
If Pension is being drawn under
E.P.S., 1995

पी.पी.ओ.नं.
द्वारा जारी
PPO No.
issued by

क्षे. का. RO	उ. क्षे. का. SRO

17. संलग्न दस्तावेज (अनुदेशों के अनुसार दर्शाये)
Documents enclosed
(Indicate as per the Instructions)

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | |

(पेंशन हेतु पात्र प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में इसे 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)
(To be submitted in duplicate in respect of each person eligible for pension)

पेंशन भोगी का विवरण और उसके नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

Descriptive roll of Pensioner and his/her Specimen Signature/Thumb impression

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. सदस्य का नाम/Name of the Member | : | |
| 2. क. भ. नि. लेखा सं./E.P.F. Account Number | : | |
| 3. पेंशन भोगी का नाम/Name of the Pensioner | : | |
| 4. पिता/पति का नाम/Father/Husband Name | : | |
| 5. लिंग/Sex | : | |
| 6. राष्ट्रियता/Nationality | : | |
| 7. धर्म/Religion | : | |
| 8. लम्बाई/Height | : | |
| 9. पहचान हेतु व्यक्तिगत चिन्ह
Personal Marks of Identification | : | 1.
2. |
| 10. पेंशन भोगी के नमूना हस्ताक्षर
Specimen signature of Pensioner | : | 1.
2.
3. |

11. [केवल निरक्षर दावेदार (पेंशन भोगी) होने की दशा में बायें हाथ की उंगलियों के निशान]

[Only in the case of illiterate Claimant (Pensioner) Left Hand Finger Impression]

अँगूठा/THUMB तर्जनी/INDEX मध्यमा/MIDDLE अनामिका/RING कनिष्ठा/SMALL

हस्ताक्षर/Signature

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

अधिप्रमाणन प्राधिकारी के नाम एवं मोहर

Name of the Attesting Authority

Official Seal

प्रमाणित किया जाता है/Certified that :

(i) मैं कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन पेंशन नहीं ले रहा हूँ।

I am not drawing Pension under Employees' Pension Scheme, 1995.

(ii) इस आवेदन पत्र में दिए विवरण सत्य एवं सही हैं।

The particulars given in this application are true and correct.

आवेदक के हस्ताक्षर/

बाएं हाथ की अँगूठा निशानी

Signature of the applicant/

Left Hand Thumb Impression

(स्थापना के नियोक्ता/
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
(TO BE FILLED IN BY THE EMPLOYER/
AUTHORISED OFFICER OF THE ESTABLISHMENT)

प्रमाणित किया जाता है कि :

Certified that :

- सदस्य का विवरण सही है।
The particulars of the member are correct.
- सेवा छोड़ने की तिथि के बाद के 12 महीनों की अवधि हेतु पेंशन अंशदान एवं मजदूरी के विवरण :
The particulars of Wages and Pension Contribution for the period of 12 months preceeding the date of leaving service are as under :
यदि मजदूरी सभी 12 महीनों में अर्जित नहीं की गई है तो 12 महीनों का खण्ड अन्तिम बार लिए वेतन से प्रारम्भ होगा
(In case, the wages is not earned for all 12 months, the block of 12 months will commence backwards from the last pay drawn).

वर्ष Year	माह Month	मजदूरी Wages		देय पेंशन अंशदान Pension Contribution due	गैर अंशदायी सेवावधि का विवरण। यदि ऐसी कोई सेवावधि नहीं है तो 'शून्य' दर्शायें Details of period of non-contributory service. If there is no such period, indicate 'Nil'	
		दिनों की सं. No. of Days	राशि Amount		वर्ष Year	दिनों की सं. जिनके हेतु कोई मजदूरी अर्जित नहीं की गई No. of Days for which no wages were earned
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुलग्नक : /Encls. :

- अनुदेशों में दिए दस्तावेज
Documents as given in the Instructions
- विवरणात्मक रोल एवं नमूना हस्ताक्षर का प्रपत्र
Form of descriptive roll and specimen signature.

स्थापना के नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी
के मोहर एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
Signature of Employer/Authorised Official
of the Establishment with Seal and Date

(केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ)
(FOR OFFICE USE ONLY)

(पेंशन अनुभाग / लेखा अनुभाग)
(PENSION SECTION / ACCOUNTS SECTION)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों का सबद्ध दस्तावेजों के साथ सत्यापित कर लिया गया है। दावेदार पेंशन हेतु पात्र हैं। आवक आंकड़ा पत्र (इन्पुट डाटा शीट) नीचे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Certified that the particulars in the application have been verified with the relevant concerned documents, the claimant is eligible for Pension. The Input Data Sheet is placed below for approval :

प्रपत्र-9/प्रपत्र-3 (पें. यो.) मास्टर खाता पत्र/ दावा आवक पूंजी में प्रविष्टि कर ली गई है।

Entered in Form 9/Form 3(PS), Master Ledger Card/Claim Inward Register.

दावेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-2 (आर) संलग्न है।

Form 2(R) enclosed alongwith the documents furnished by the claimant.

लिपिक/Clerk	अनु. पर्य./S.S.	स. ले. अधि./A.A.O.	स. भ. नि. आयु(पेंशन)/A.P.F.C.
दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date

(पेंशन से पूर्व लेखा प्रकोष्ठ के प्रयोगार्थ)
(FOR USE IN PENSION PRE-AUDIT CELL)

इन्पुट डाटा शीट को आवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों के साथ सत्यापित कर लिया गया है और सही पाया गया है। पें. अदायगी आदेश को कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर लिया जाए।

The Input date sheet verified with reference to the application and the documents enclosed and found correct. P.P.O. may be generated through Computer.

लिपिक/Clerk	अनु. पर्य./S.S.	सु. ले. अधि./A.A.O.	स. भ. नि. आयु(पेंशन)/A.P.F.C. (Pension)
दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date

(पेंशन वितरण अनुभाग के प्रयोगार्थ)
(FOR USE IN PENSION DISBURSEMENT SECTION)

पें. अ. अ. सं.

P.P.O. No.

बैंक को जारी करने की तिथि

Date of issue of the Bank

दि.को दावेदार तथा

लेखा अनुभाग को सूचना जारी कर दी गई है।

Intimation sent to the Claimant

and also to Accounts Branch on

लिपिक/Clerk	अनु. पर्य./S.S.	स. ले. अधि./A.A.O.	स. भ. नि. आयु/A.P.F.C.
दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date	दिनांक/Date